मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल का त्रैमासिक न्यूज लेटर

जैवविविधता

अंक – 3

जनवरी–मार्च 2021

संपादकीय

जैवविविधता अधिनियम, 2002, एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 तथा जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 (विनियम, 2014) के प्रावधानों के अंतर्गत जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन, जैवसंसाधनों का संवहनीय उपयोग तथा लाभों का साम्यपूर्ण प्रभाजन के क्रियान्वयन हेतु जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन प्रावधानित है। इस क्रम में प्रदेश में जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41 (1) एवं मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत एवं नगरी निकाय) पर 23557 जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।

जैवविविधता संरक्षण हेतु जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा लोक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण किया जाना है। जैवविविधता नियम, 2004 (केन्द्र) के नियम 22 (6) तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम (23) (9) अनुसार जैवविविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से लोक जैवविविधता पंजी तैयार करना है। लोक जैवविविधता पंजी में स्थानीय जैविक संसाधनों की उपलब्धता और ज्ञान, उनके औषधीय या किसी अन्य उपयोग या उनसे जुड़े किसी भी अन्य पारंपरिक ज्ञान की व्यापक जानकारी सम्मिलित होती है। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम 23 (12) के प्रावधानों के अंतर्गत जैवविविधता प्रबंधन समिति को लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण हेतु मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा लोक जैवविविधता पंजी संधारित (Maintained) की जायेगी और उसे विधिमान्य (Validated) किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा मैदानी स्तर के जैवविविधता से सरोकार रखने वाले विभागों के सहयोग से डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी को निरंतर अपडेट किया जा रहा है।

जैवविविधता अधिनियम, 2002, एवं जैवविविधता नियम, 2004 तथा जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बांटना विनियम, 2014 (विनियम, 2014) के प्रावधान अनुसार जैवसंसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारी एवं विनिर्माताओं द्वारा साम्यापूर्ण लाभ प्रभाजन की राशि बोर्ड एवं वन मण्डलो को प्रदान की जा रही है। लाभ प्रभाजन की राशि का उपयोग जैवविविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से मैदानी स्तर पर जैवविविधता संरक्षण के कार्यो हेतु किया जायेगा। इस उद्देश्य से जैवविविधता संरक्षण के कार्यो एवं लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में स्थानीय निकाय स्तर पर गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों का सहयोग अपेक्षित है।

आशा है कि कोविड–19 के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत जैवविविधता सरंक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थानीय समुदाय, स्थानीय निकायों, जैवविविधता प्रबंधन समितियो एवं जैवविविधता के सहयोगी विभागों द्वारा सक्रिय सहयोग प्रदान किया जायेगा।

शुभकामनाओं सहित।

(जसबीर सिंह चौहान)
सदस्य सचिव

1. ग्रीन इण्डिया मिशन अंतर्गत जैवविविधता कार्यशाला सह प्रशिक्षण

ग्रीन इण्डिया मिशन अंतर्गत लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य के संबंध में वनमण्डलाधिकारी बड़वानी में दिनांक 16.03.2021 एवं दिनांक 19.03.2021 झाबुआ में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यशाला का आयोजन किया गया।

झाबुआ में आयोजित जैवविविधता प्रशिक्षण सह कार्यशाला

बड़वानी में आयोजित जैवविविधता प्रशिक्षण सह कार्यशाला

इसके साथ ही ग्रीन इण्डिया मिशन अंतर्गत लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य के संबंध में वनमण्डलाधिकारी वनपरिक्षेत्र कार्यालय, बुधनी, जिला–सीहोर में दिनांक 20.03.2021 को एवं दिनांक 24.03.2021 को वनमण्डलाधिकारी होशंगाबाद एवं उत्तर बैतूल अंतर्गत बैठक का आयोजन किया गया।

2. वनवृत स्तरीय लाभ प्रभाजन की समीक्षा एवं प्रशिक्षण

जैवविविधता अधिनियम, 2002, म.प्र. जैवविविधता नियम, 2004 एवं विनियम, 2014 के अंतर्गत क्षेत्रीय वन ईकाइयों में गठित जैव विविधता प्रकोष्ठ द्वारा लाभ प्रभाजन की समीक्षा हेतु वन वृत्त स्तर पर म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गई। इस क्रम में आयोजित कार्यशालाओं का विवरण निम्नानुसार हैः— ग्वालियर, वनवृत्त—ग्वालियर दिनांक 15.02.2021, जबलपुर, वनवृत्त—जबलपुर, दिनांक 22.02.2021, छतरपुर, वनवृत्त—छतरपुर, दिनांक 23.02.2021, खण्डवा, वनवृत्त—खण्डवा, दिनांक 24.02.2021 रीवा, वनवृत्त—रीवा, दिनांक 26.02.2021, सागर, वनवृत्त—सागर, दिनांक 02.03.2021 शहडोल, वनवृत्त—शहडोल, वनमंडल—उत्तर शहडोल, दिनांक 06.03.21 की बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यशाला में वनवृत्तों के अंतर्गत आने वाले वनमंडलों के जैवविविधता प्रकोष्ठ के अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुये।

म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड के सदस्य सचिव, श्री जसबीर सिंह चौहान द्वारा वनवृत्तों के अंतर्गत आने वाले वनमंडलों में व्यापारियों से प्राप्त आवेदन, एबीएस अनुंबध, लाभ प्रभाजन राशि एवं वन अपराध (पी.ओ.आर.) की प्रगति की समीक्षा की गई तथा अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश में व्यापारिक महत्व के जैव संसाधनों की प्रचुरता है अतः समस्त वनमण्डलों द्वारा अपने क्षेत्र के व्यापारियों को एबीएस के दायरे में लाने हेतु प्रयास आवश्यक है। सदस्य सचिव द्वारा समीक्षा में क्षेत्रीय इकाईयों को अवगत कराया कि जैवविविधता अधिनियम, 2002 का उददेश्य जैवसंसाधनों के व्यापार को सुगम एवं सरल बनाना है, न कि व्यापार में अवरोध उत्पन्न करना।

वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अगले चरण में बोर्ड के सहायक सदस्य सचिव डॉ. एलिजाबेथ थॉमस द्वारा क्षेत्रीय इकाईयों में जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन से जुड़े महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपने प्रस्तुतिकरण द्वारा जानकारी प्रदान की गई, इसके पश्चात् बोर्ड की तकनीकी विशेषज्ञ (विधि) सुश्री निशिता गोलछा द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002, म.प्र. राज्य जैवविविधता नियम, 2004 एवं जैविक संसाधनों तक पहुंच एवं फायदा बंटाना विनियम—2014 के वैधानिक प्रावधानों एवं क्षेत्रीय इकाईयों में उनके क्रियान्वयन के विषय में जानकारी दी गई एवं बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञ (एन.आर.एम) श्री विवेक कुमार पाण्डेय द्वारा मध्यप्रदेश में व्यापारियों द्वारा उपयोग हेतु जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन की मानक प्रक्रिया (SoP) के बारे में क्षेत्रीय इकाईयों के जैवविविधता प्रकोष्ठ को विस्तृत रूप से समझाया गया।

वनवृत स्तरीय आयोजित समीक्षा सह जैवविविधता प्रशिक्षण

3. भारतीय वन सेवा प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल द्वारा दिनांक 28.01.2021 वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में श्री आलोक कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में Schedule for Head Quarter Training Part of On the Job Training Of IFS Probationers of 2019-2021 Course. अंतर्गत भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्री जसबीर सिंह चौहान, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल द्वारा प्रदेश के टाईगर रिजर्व एवं वन्यप्राणी अभ्यारण्य एवं वानिकी जैवविविधता से संबंधित जानकारी प्रदान किया गया। श्रीमती कमालिका मोहन्ता, संचालक, वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के मार्गदशन में वन्य प्राणी संरक्षण के कार्यो के अवलोकन हेतु वनविहार का भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

डॉ. बकुल लाड, सहायक एवं डॉ. एलिजाबेथ थॉमस, सहायक सदस्य सचिव, बायो, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अंतर्गत जैवविविधता बोर्ड द्वारा क्रियान्वित गतिविधियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय वन सेवा के श्री प्रसर्वेश सोनवानी, उत्तर बैतूल, श्री चिराग जैन, दक्षिण बालाघाट, श्री नरेन्द्र रावत, पश्चिम छिन्दवाड़ा, श्री निथ्यिानंदन एल.,पश्चिम मण्डला, श्री आदित्य, उत्तर सिवनी, श्री थिरूकुराल.एल., दक्षिण सागर, श्री अभित जैन, क्षेत्रीय वन मण्डल डिण्डोरी, श्री अनुराग तिवारी, क्षेत्रीय वन मण्डल कटनी द्वारा भाग लिया गया।

वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

4. जैवविविधता अधिनियम, 2002 क्रियान्वयन मानक प्रक्रिया का प्रशिक्षण

म.प्र. राज्य जैवविवधिता बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड के कानूनी सलाहकार के लिये दिनांक 05.02.2021 को एक दिवसीय जैवविविधता अधिनियम, 2002 प्रक्रियां के संबंध में प्रशिक्षण आयोजन किया गया। जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के कानूनी सलाहकार श्री प्रतीक वर्मा द्वारा भाग लिया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के डॉ बकुल लाड़, सहायक सदस्य सचिव (सी—डी), डॉ. एलिज़ाबेथ थॉमस (बायो) एवं तकनीकी विशेषज्ञ श्री विवेक पांडे (एन.आर.एम.),सुश्री निशिता गोलछा (विधि) द्वारा मध्य प्रदेश मे जैव सांसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारियों और विनिर्माताओं द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियां से अवगत कराया गया। इसके साथ ही जैव विविधता अधिनियम, 2002, जैवविविधता नियम, 2004 एवं जैविक संसाधनो तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बटाना विनियम, 2014 के प्रावधानों पर चर्चा की गयी। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश में जैवसंसाधनों के वाणिज्यक उपयोग एवं लाभ प्रभाजन हेतु बनाई गई मानक प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण किया गया।

जैवविविधता अधिनियम, 2002 प्रक्रियां के संबंध में आयोजित प्रशिक्षण

5. वेबिनार एवं ऑनलाईन प्रशिक्षण

1. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण चैन्नई द्वारा "Linkage of Biodiversity Management Committee (BMCs) with Institutions Participation and Panchayati Raj Institutions" के संबंध में दिनांक 19.03.2021 को आयोजित ऑनलाईन वेबिनार का आयोजन किया गया।
2. नगर निगम भोपाल द्वारा Invitation to the Virtual Workshop for Demonstration of the Application of Urban Sustainability Assessment Framework (USAF) के संबंध में दिनांक 19.03.2021 को ऑनलाईन वेबिनार का आयोजन किया गया।
3. पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) द्वारा Technical and scientific collaboration to desing and develop a Natural Resources Management based Dynamic Decision Support System के संबंध में दिनांक 23.0.3.2021 को ऑनलाईन वेबिनार का आयोजन किया गया।

शोध एवं दस्तावेजीकरण

1. लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा विद्यालय एवं महाविद्यालय के पी.आई. तथा को–पी.आई दिनांक 13–15 जनवरी 2021 को 11 जिले के 19 जनपद पंचायत के 38 पी.आई एवं कॉपी.आई, दिनांक 16 एवं 17 फरवरी 2021 को 17 जिलाके 37 जनपद पंचायतों के कुल 74 पी.आई एवं कॉ पी.आई तथा दिनांक 1 एवं 2 मार्च 2021 को 12 जिलो के 23 जनपद पंचायतों के 46 पी.आई एवं कॉपी.आई को पंजी निर्माण कार्य के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

बोर्ड द्वारा आयोजित लोक जैवविविधता पंजी निर्माण प्रशिक्षण ऑनलाईनके प्रशिक्षण कार्यक्रम

2. लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य समीक्षा बैठक

स्थानीय निकाय (जनपद पंचायत) स्तर पर 19 जनपद पंचायतो, में लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु बोर्ड द्वारा पॉच बैठको का आयोजन किया गया।

3. जनपद पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबंध समितियों की बैठक

बोर्ड के तकनीकी मार्गदर्शन में जिला छतरपुर में तीन जनपद पंचायत (नौगॉव, राजनगर, विजावर) में जैवविविधता प्रबंधन समिति की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया।

4. ''चलती रहे जिन्दगी'' आकाशवाणी कार्यक्रम

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा आकाशवाणी केन्द्र भोपाल के सहयोग से जैवविविधता प्रचार–प्रसार हेतु ''चलती रहे जिन्दगी''कार्यक्रम में जैवविविधता संरक्षण–संवर्धन आधारित व्याख्यान का आकाशवाणी प्रसारण दिनांक 08 जनवरी 2021 से 26 मार्च तक किया गया। कार्यक्रम में डॉ. जी.एस. कौशल, से.नि. संचालक, कृषि विभाग, श्री बाबूलाल दाहिया, अध्यक्ष, जैवविविधता प्रबंधन समिति – पिथौराबाद जिला सतना, डॉ. रजनीकांत सक्सेना, औषधि पौधे विशेषज्ञ, श्री आर श्रीनिवास मूर्ति, से.नि. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड तथा श्री जसबीर सिंह चौहान, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के व्याख्यान का प्रसारण किया गया।

म.प्र में जैवविविधता संरक्षण विषय में आकाशवाणी व्याख्यान

5. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण चैन्नई द्वारा ऑनलाईन समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण चैन्नई द्वारा दिनांक 22.01.2021ए 26.02.2021 तथा 26.03.2021 को समस्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कार्य प्रगति की समीक्षा हेतु ऑनलाईन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बोर्ड द्वारा एजेंडा अनुसार प्रदेश में स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर जैवविधिता प्रबंधन समितियों गठन, सक्रियकरण, लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य तथा लाभ प्रभाजन की जानकारी प्रस्तुत की गई। बैठक में बोर्ड के कार्यो की प्रशंसा की गई।

लाभ प्रभाजन की अद्यतन प्रगति

ABS Money Collected from Traders & Manufacturers in M.P.

Financial Year	No of MoUs signed		ABS amount collected (in Rs.)		ABS Amount Collected per year
	Trader	Manufacturer	Trader	Manufacturer	
2020-21	967	20	90,17,144.52	7,18,008.00	97,35,152.52
2013-2021	**621**	**52**	**1,31,13,325.00**	**43,00,029.00**	**1,74,13,354.00**
Grand Total	**673**		**1,74,13,354.00**		

बुक पोस्ट

प्रति,

....

....

....

प्रेषक –

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
प्रथम तल, किसान भवन,
अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011 (मध्यप्रदेश)
फोन : 0755–2554549, 2554539, 2764911
ई–मेल : mpsbb@mp.gov.in
वेबसाईट : www.mpsbb.nic.in

संरक्षक
जसबीर सिंह चौहान
सदस्य सचिव

संपादक मण्डल
डॉ. बकुल लाड
सहायक सदस्य सचिव
(सी. एण्ड. डी)

डॉ. एलिजाबेथ थॉमस
सहायक सदस्य सचिव
(बायो)

शिवप्रताप सिंह बघेल
सहायक सदस्य सचिव
(प्रशा. / वित्त)